संख्या-150/2021/576(क)/23-14-2021-01आ0जि0यो0/2020

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवम् विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 25 मार्च, 2021**

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत 05 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2064नि0/141-01नि0/20-21, दिनांक 21.12.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एक मुश्त व्यवस्था-1332-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य" में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **जनपद-बहराइच** की जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत कुल पांच कार्यों हेतु कुल लागत रू0 255.62 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में कुल धनराशि रू0 1,01,50,000.00 (रू0 एक करोड़ एक लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद एवं तहसील का नाम	कार्य का नाम/जनपद-बहराइच	लम्बाई (कि0मी0 में)	मनरेगा से अपेक्षित धनराशि (मिट्टी एवं पुलिया)	अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत कार्य की कुल लागत (मनरेगा अंश छोड़कर)	परियोजना की कुल लागत	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बहराइच/ नानपारा	राजापुरवा सम्पर्क मार्ग (राजस्व ग्राम-नानपारा देहाती) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	0.60	0.00	40.62	40.62	16.12
2	बहराइच/ नानपारा	अल्ताफपुरवा सम्पर्क मार्ग (राजस्व ग्राम-सिलेटनगंज) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	0.75	0.00	61.11	61.11	24.26
3	बहराइच/ कैसरगंज	महारापुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	0.50	0.00	44.41	44.41	17.63
4	बहराइच/ कैसरगंज	बझौवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	0.90	0.00	78.66	78.66	31.23
5	बहराइच/ नानपारा	अहिरनपुरवा सम्पर्क मार्ग (राजस्व ग्राम-हाड़ा बसेहरी) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य ।	0.45	0.00	30.82	30.82	12.26
		योग	**3.20**	**0.00**	**255.62**	**255.62**	**101.50**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जाये ।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा ।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी । अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु 02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके जमा की जायेगी ।

(8) मूल्यह्रास आरक्षित निधि के अन्तर्गत 1.50 प्रतिशत की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा की जायेगी ।

(9) एक प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा ।

(10) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) नियमानुसार यथाआवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

(12) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजनायें जिला योजना अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हैं ।

(13) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय । विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायी होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय । कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(14) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत **"लेखाशीर्षक-5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एक मुश्त व्यवस्था-1332-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-8-1057/दस-2021, दिनांक- 25 मार्च, 2021 में प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं ।

भवदीय,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-150/2021/576(क)(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।

3- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा ।

4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच ।

5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्य मंत्री व मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.12.2020 के संदर्भ में ।

7- मुख्य अभियन्ता, देवीपाटन (गोण्डा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा ।

8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1 लोक निर्माण विभाग, बहराइच ।

9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।